

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 82/2022 (2022/291) अनवान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी बनाम कानाराम भाटी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.05.2026	<p>पत्रावली पेश हुई। पत्रावली सरकारी पैरोकार तहसीलदार लूणी द्वारा प्रकरण 177 के तहत पेश किया गया। अप्रार्थी के नोटिस पेश हेतु प्रार्थी सरकारी पैरोकार तहसीलदार लूणी द्वारा प्रकरण में समय समय पर पैरवी एवं प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। इनको अवसर दिये जाने के उपरान्त भी प्रार्थी सरकारी पैरोकार तहसीलदार लूणी द्वारा अप्रार्थी के नोटिस पेश नहीं करने के कारण प्रार्थी सरकारी पैरोकार तहसीलदार लूणी का प्रार्थना पत्र अदम पैरवी/अदम हाजरी एवं अदम पालना में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।</p>	<p>सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी</p>